

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण कमांक: 12018 रिवीजन

निगरानी-3871/2018/मुरेना/भू.र.

दाताराम पुत्र श्री नथुआ जाति
अहीर, निवासी- ग्राम आरेठी,
तहसील जौरा जिला मुरेना,

श्री. लखन सिंह यादव

श्री. लखन सिंह यादव

द्वारा आप्त दि. 19/06/18 को

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु

दिनांक 04/07/18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.....आवेदक

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला मुरेना,
2. रामरती पत्नी श्री रामस्वरूप जाति गुर्जर ठाकुर, निवासी ग्राम रकेरा, तहसील जौरा जिला मुरेना म.प्र.

.....अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 07/05/2018 श्रीमान कलेक्टर
जिला मुरेना द्वारा प्रकरण कमांक 01/2014-15 रिव्यू
एवं श्रीमान् कलेक्टर जिला मुरेना द्वारा पारित आदेश
दिनांक 15/07/2015 प्रकरण कमांक 5/2012-13
स्वमेव निगरानी में पारित।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

1. यहकि, श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला मुरेना के समक्ष

382


L.S. Dhaware
19/06/18

न्यायालय महाविद्यालय, ग्वालियर
अग्रिम प्रति.....
पृष्ठ क्र..... से.....
दिनांक.....
हरतालपर व नाम.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3871/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	